लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं॰ आर्थिक क्षेत्र

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर के माह 3/2012 से 4/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित सर्व श्री डी. के. मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज सिंह,पर्यवेक्षक, श्री सौरभ कुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27/05/2016 से 01/06/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिये कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावनाः-

1. कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित कार्यालय अध्यक्ष नें कार्यालय का कार्यभार सम्भाले रखा।

1. श्री डी॰एस॰ जलाल प्रभारी, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी

3. सम्प्रेषित अवधि मे मुख्य लेखा शीर्षो मे कुल आवंटन एवं व्यय (धनराशि लाख में)

year	plan		non-plan	
	Allotment	Expenditure	Allotment	Expenditure
2012-13	100.45	82.43	193.30	180.32
2013-14	41.02	32.87	196.19	193.23
2014-15	158.93	75.13	203.37	194.87
2015-16	139.58	103.56	197.53	191.82

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1 `1.41 लाख के वाउचर गुम होना

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि RKVY (देवीय आपदा) योजना वर्ष 2014-15, 2015-16 के व्यय विवरण के अनुसार कुल व्यय 95.79 लाख दर्शाया गया हैं। परन्तु वाउचर की जांच करने पर केवल ` 94,37,615 के वाउचर मिले । विभाग से पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि संबन्धित धनराशि का बिल रजिस्टर मे बनाया गया हैं। परन्तु वाउचर गुम होने पर लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस सम्बंध में अवगत कराना हैं कि `1.41 लाख के वाउचर गुम हो गए हैं। जो कि गंभीर मामला हैं। अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 1 ` 1,94,588.00 का अनियमित भुगतान दर्शाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड V भाग I के प्रस्तर 307 ए मस्टर रोल के उपनियम 1 से 8 तक में उल्लखित प्रावधानों के अनुसार ही दैनिक श्रमिक चिठ्ठे में दर्शायी गयी धनराशि का भुगतान किया जा सकता हैं।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि ` 1,94,588.00 के दैनिक श्रमिक चिठ्ठे का भुगतान कार्य प्रारम्भ हुऐ बिना ही आहरित कर लिया था जोकि वित्तीय नियम 307 ए का स्पष्ट उल्लंघन था।

दिनांक से दिनांक	परियोजना का नाम	आहरित धनराशि
1-11-2012 से 7-11-2012	साला सिमतोली	32,200.00
9-11-2012 से 15-11-2012	तदैव	32,200.00
17-11-2012 से 23-11-2012	तदैव	26,528.00
31-12-2012 से 6-01-2013	लयजिगडा	875.00
23-12-2012 से 29-12-2012	तदैव	13,495.00
3-1-2013 से 9-1-2013	काल्डे	52,950.00
11-1-2013 से 17-1-2013	तदैव	36,340.00
	कुल `	1,94,588.00

उक्त दैनिक श्रामिक चिठ्ठे पर मजदूरों के नाम एवं उनके कार्य दिवसों कि उपस्थिती एवं कुल दैनिक मजदूरी धनराशि का सत्यापन मानचित्रक जिसके द्वारा बिल बनाया गया था, के द्वारा दिनांक 19/1/2012 में कार्य का सत्यापन करके बिल बनाकर भुगतान करने की संस्तुति कर दी गयी थी। जिसको अन्य अधिकारी वर्ग-2 द्वारा भी सत्यापित करके भुगतान करने हेतु सक्षम अधिकारी को भेज दिया गया था। सक्षम अधिकारी द्वारा भी दर्शायी गयी धनराशि को व्यय स्वीकृति प्रदान करते हुए भुगतान पास कर दिया गया था।

इस सम्बंध में विभाग को अवगत कराने पर अपने उत्तर में लेखापरीक्षा दल की उठाई गयी आडिट आपत्ति को स्वीकार्य करते हुऐ भविष्य में इस तरह को पुनरावृत्ति न होने का लिखित आश्वासन दिया गया था।

विभागीय उत्तर संतोष जनक नहीं था क्योंकि वित्तीय नियम 162 के अनुसार किसी भी शासकीय धनराशि का आहरण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक की उसके तुरंत व्यय की आवश्कता न हो। यहाँ तो कार्य बाद मे हुआ पहले कार्य का बिल एवं कार्य का मापन माप पुस्तिका संख्या 233 पृष्ठ संख्या 25, 26 में अंकित कर भुगतान आहरित कर लिया गया था। जोकि वित्तीय नियमों के अनुसार अनुचित था।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके अलग से **कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बागेश्वर** को भेजा

जाएगा, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II